जनघोषणा पत्र के 36 वायदे–जो कहा वो किया

1 किसानों का कर्जा माफ– सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया जायेगा।

मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण लेने के दो घंटे के अंदर 20 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ किया गया। 11000 करोड़ का ऋण माफ किया गया।

2 कृषि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है।

धान की खरीद की न्यूनतम दर–2500 रूपये प्रति क्विंटल।

खरीफ वर्ष 2018–19 में 80.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी 2500 रू का एकमुश्त भुगतान।

2019–20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी 2500 रू. प्रति क्विंटल की दर पर किसानों को मिले इसलिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से दस हजार रू. प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता दिया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 5750 करोड़ रू. दिया।

2020–21 में 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया गया तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9 हजार रू. प्रति एकड़ की सहायता दी गयी।

2021–22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया।

2022–23 में 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी लक्ष्य।

2500 में धान खरीदी की जा रही, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि को मिलाकर वादे से अधिक 2640 और 2660 रू. प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य।
o धान की खरीदी 2640 रू. आने वाले समय में 2800 रू. प्रति क्विंटल में खरीदी होगी
चालू खरीफ सीजन में 20 क्विंटल धान की खरीदी की गई
o सोयाबीन की खरीदी 3500/k पर
o मक्का की खरीदी 1850/ k पर (वादा 1700 का था)
o गन्ना की खरीदी 355/ k पर
o चना की खरीदी 4700/ k पर
0 कोदो–कुटकी 3000 रू. क्विंटल
0 रागी 3377 रू. क्विंटल
जनजातीय क्षेत्रों के रागी, कोदो, कुटकी जैसे गौण उपजों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर सरकार उसकी खरीदी कर रही है। 2023 को इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाने की घोषणा की जा चुकी है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से कोदो, कुटकी, गन्ना, रागी, दलहन, तिलहन, फलदार वृक्ष सहित सब्जी लगाने वालों को 10 हजार रू. दिया जा रहा है।

3 बिजली बिल आधा (हाफ) किया जायेगा।

400 यूनिट तक के उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा। लगभग 44 लाख उपभोक्ताओं को 3250 करोड़ रू. का बिजली बिल में छूट मिला।

6 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली द्वारा सलाना 900 करोड़ की राहत, गरीब परिवार को 30 यूनिट निःशुल्क बिजली।

4 घर–घर रोजगार, हर घर रोजगार–छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मिल योजना के तहत रोजगार दिया जायेगा। जिसके अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रति माह रू. 2500 प्रदान किया जायेगा।

घर–घर रोजगार हर घर रोजगार के वादे को मूर्तरूप देते हुये 13242 राजीव युवा मितान क्लब गठित किये जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्लब को अभी प्रारंभिक तौर पर 1 लाख प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। प्रत्येक क्लब में युवा सदस्य होंगे। जिन्हें सामुदायिक विकास कार्य और समाज सेवा से जोड़ा गया। अभी तक 4 लाख युवा जुड़ गये है।

बेरोजगारी भत्ता–युवाओं को 2500 रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा। 1,16,730 बेरोजगारों को 80 करोड़ 64 लाख भत्ते का भुगतान हो चुका है।

5 खाद्य सुरक्षा का अधिकार–प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रति माह रू. 1 की दर से एवं बी.पी.एल. परिवार नियंत्रत दर पर तेल, दाल, नमक, चीनी और कैरोसिन प्रदान किया जायेगा।

गरीबों के साथ मध्यमवर्गीय परिवारों के राशन कार्ड बनाकर खाद्य सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चत किया गया है। लगभग 72 लाख राशन कार्ड बनाये गये है। बीपीएल परिवारों को 1 रू. में 35 किलो चावल दिया जा रहा है। कोरोना के बाद गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

6 स्वास्थ्य का अधिकार–छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ्य योजना (यूनिवर्सल हेल्थकेयर) के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त इलाज की सुविधा निःशुल्क दी जायेगी।

यूनिर्वसल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री हाट–बाजार क्लिनिक योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरूआत।

प्रदेश के 65 लाख परिवार डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के दायरे में।

बीपीएल के 56 लाख परिवारों को सालाना पांच लाख रूपए तक एवं 9 लाख एपीएल परिवारों को हर वर्ष 50 हजार रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जटिल एवं गंभीर रोगों के इलाज के लिए 20 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता देने वाला देश का पहला राज्य। इसकी सीमा बढ़ाकर 2500 कर दिया गया।

मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक से ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज, 14 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के तहत निगम क्षेत्रों में घर पहुंच ईलाज की सुविधा दी जा रही है। दाई दीदी क्लिनिक महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधायें।

सुकमा में 30 बिस्तर, दुर्ग के अहिवारा में 10 बिस्तर, एनआरसी में 45 नये पद, खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल

प्रदेश में कुल 13 मेडिकल कॉलेज है जिनमें 7 हमारे शासनकाल में

चंदूलाल चंद्राकर निजी कॉलेज का अधिग्रहण

साढ़े चार सालों में प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज कांकेर, महासमुंद और कोरबा में खोले गए है। चार नये मेडिकल कॉलेज कबीरधाम, जांजगीर चांपा, गीदम और मनेंद्रगढ़ में खोले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

7 शिक्षा का अधिकार को पूर्व प्राथमिक (प्री.स्कूल) से कक्षा बारहवीं तक लागू किया जायेगा। आंगनबाड़ी में बालवाड़ी प्री–प्राइमरी स्कूल (नर्सरी) शिक्षा की शुरूआत की जायेगी।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वार प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राईवेट स्कूल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकते है। इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12 वीं तक चयनित स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कर सकते है। अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे है।

छत्तीसगढ़ देश का अकेला राज्य जहां बारहवी तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। 480 स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा मुफ्त दिया जा रहा है।

आंगनबाड़ी को बाल बाड़ी में परिवर्तित किया गया। नर्सरी शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जा रही है।

महतारी दुलार योजना के अंतर्गत पहली से आठवी तक के बच्चों को 500 रू., नवमी से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रू. छात्रवृत्ति दिया जा रहा है।

8 ग्रामीण और शहरी आवास अधिकार– सरकार आने के एक वर्ष के भीतर होमस्टेड अधिनियम लाया जायेगा। जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदत्त की जायेगी एवं शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान प्रदान किया जायेगा, भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि के भीतर पट्टा प्रदान किया जायेगा।

मोर मकान मोर जमीन योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में एक लाख मकान दिये जा रहे है। शहरी क्षेत्रों में पट्टा दिया जा रहा है।

2 लाख 39 हजार 730 परिवार को शहरी पट्टा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन कब्जाधारियों को आवास का पट्टा देने का कार्य प्रगति पर।

मोर जमीन मोर मकान–मोर मकान, मोर चिन्हारी योजना के लिए 450 करोड़ दिया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना की शुरूआत

11 लाख 76 हजार 150 ग्रामीण आवास स्वीकृत एवं कार्य प्रगति

9 वनधिकार कानून का पालन–वन अधिकार अधिनियम पूर्णतः लागू किया जायेगा, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनोपज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग को व्यक्तिगत अधिकार एवं ग्राम सभा को सामूहिक अधिकार दिये जायेंगे।

वन अधिकार कानून के अंतर्गत 4 लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत और 50 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण कर 51 लाख से अधिक ग्रामीण/आदिवासियों को भूस्वामी बनाया गया है। पेसा कानून के नियम बनाया।

10 महिला सुरक्षा के प्रतिबद्ध–राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी, महिलाओं के संरक्षण के लिये कानून का सख्ती से पालन किया जायेगा।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक गश्त टीम बनाई गई है, साथ ही 112 की टीम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है जो तत्काल सहायता के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित या पीड़ित को गंतव्य तक पुलिस वाहन से पहुंचाने का काम भी किया जाता है।

महिला सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक यातायात वाहनों में महिलाओं के लिए पैनिक बटन लगाने की घोषणा की जा चुकी है।

11 शासकीय कर्मचारियों को सम्मान–समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिये क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जायेगा। अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियो को रिक्त पदों में नियमितिकरण की कार्यवाही की जायेगी एवं किसी भी छटनी नहीं की जायेगी।

शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत था जिसमें 42 प्रतिशत किया गया है। इससे राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय सेवकों और 1 लाख 25 हजार पेंशनर्स को लाभ हुआ है। इस घोषणा से सरकार पर सालाना करोड़ रूपए का आर्थिक भार आएगा।

शिक्षा विभाग में सभी वर्ग के 25 हजार कर्मचारियों की पदोन्नति।

बिजली विभाग के कर्मचारियों को डीए से 16000 कर्मचारियों को लाभ।

शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद वेतनमान की व्यवस्था।

राज्य के कर्मचारियों के हित में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा दिलाने न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली।

37000 अनियमित कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता

अतिथि शिक्षकों को 2000 रू. अतिरिक्त मानदेय दिया।

12 पेंशन योजना–

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त वृद्धजनों को 350 रू. से 650 रू. मासिक सहायता दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा निराश्रित/विधवाओं को 350 रू. मासिक व दिव्यांगजनों को 500 रू. मासिक दिया जा रहा है।

13 महिला स्व–सहायता समूहों का कर्ज माफ किया जायेगा।

महिला स्व–सहायता समूह का कर्जा माफ किया जा चुका है एवं गोधन न्याय योजना व अन्य योजनाओं से जोड़कर समूहों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है।

महिला स्व सहायता समूह के 19 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया है।

नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद जैसे गोठानों के उत्पाद निर्माण एवं गोधन न्याय योजना का संचालन महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।

वनोपज के उत्पाद, रेडी टू ईट, गर्म भोजन महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है।

14 शराबबंदी– कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा।

सफल शराबबंदी के लिये चरणबद्ध प्रयास किये जा रहे है। 100 से अधिक शराब दुकान बंद की गई है। शराबबंदी के लिये राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कमेटी गठन किया गया है जो शराबबंदी के लिये सकारात्मक एवं प्रभावी सुझाव देगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों वाली पंचायतों के अनुमोदन से पूर्ण शराबबंदी कैसे लागू करने पेसा कानून बना अधिकार दिया।

15 मनरेगा का विस्तार– मनरेगा को कृषि कार्य खेती, बाड़ी, पशुपालन से जोड़कर खेती की लागत को कम किया जायेगा। मांग पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर कानून अनुसार भत्ता प्रदान किया जायेगा।

मनरेगा द्वारा रोजगार मुहैया कराने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है।

मनरेगा का विस्तार करते हुये भारत सरकार से स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 16 करोड़ 6 लाख 84 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है जो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 107 प्रतिशत से अधिक है।

चालू वित्तीय वर्ष में 2617 करोड़ 88 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान मनरेगा श्रमिकों को किया गया है।

मनरेगा को नरवा, गरवा, घुरवा, बारी से जोड़कर और अधिक विस्तृत किया गया है।

घोषणा पत्र में मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर भत्ता प्रदान किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मनरेगा में रोजगार की पर्याप्तता के कारण भत्ते की कोई आवश्यकता नहीं है।

16 भूमि–अधिग्रहण–भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन करते हुये अधिग्रहित की गयी कृषि भूमि के लिये मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से 4 गुना प्रदान किया जायेगा।

भूमि अधिग्रहण 2013 को प्रदेश में प्रभावी बनाने हेतु "छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार" विधेयक को सरकार द्वारा पारित किया जा चुका है।

इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित की गई भूमि के लिए 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान स्थापित किया जा चुका है।

इसी कानून के पालन में बस्तर के लोहाण्डीगुड़ा में 1700 आदिवासी किसानों की 4200 एकड़ जमीनें सरकार ने वापस किया है।

17 जल संसाधन नीति–छत्तीसगढ़ की पहली जल संसाधन नीति लागू की जायेगी। जिसके अंतर्गत पेयजल एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी जायेगी।

जल संरक्षण संवर्धन की दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे है। मजबूत जल नीति बनाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना से जल बचाने का कार्य एवं उपाय किया जा रहा है।

2023 तक 45 लाख 48 हजार घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूर्णता की ओर।

18 सिंचित क्षेत्र होगा दोगुना–लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना पर विशेष ध्यान देकर 5 वर्षो से सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जायेगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुराने बकाया राशि माफ की जायेगी।

सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिये राज्य में 35 हजार सिंचाई पंपों को कनेक्शन देने के कार्य प्रगति पर है।

17.04 लाख किसानों का 244.18 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया गया। सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिये छोटी–छोटी सिंचाई परियोजना के साथ वृहद परियोजना पर कार्य किया गया। तालाब गहरीकरण, नहर, नाली को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नदियों में तटबंध एवं जल रोकने बांध का निर्माण किया जा रहा है। 22 हजार 653 करोड़ का बोधघाट परियोजना शुरू किया जा रहा है।

वर्ष 2018 में वास्तविक सिंचाई 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई में 20.07 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है।

19 फूड पार्क–प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित किये जायेंगे और प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक फूड पार्क स्थापित किया जायेगा।

रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडस मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, जिससे लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिला है।

छत्तीसगढ़ में 110 फूड पार्क स्थापित करने हेतु प्रदेशभर में भूखंडों का चिन्हांकन किया जा चुका है। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति में फूड पार्कों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को भूमि आबंटन के साथ ही अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

कोण्डागांव मक्का, सिमगा, रायपुर फूड, पत्थलगांव टमाटर केचप की स्थापना प्रगति पर।

लघु धान में फसलों (मिलेट) के लिये कांकेर व दुर्गकोंदल में दो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हो चुके है।

20 कामधेनु सुरक्षा केंद्र–लावारिश मवेशियों के लिये बाड़े एवं गौशालाएं बनाई जायेगी ताकि किसानों की फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। अमूल मॉडल के अनुरूप प्रत्येक जिले में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की जायेगी।

कामधेनु सुरक्षा केंद्र के रूप में अभी 9950 गोठान के निर्माण किया गया।

इन गोठानों में गायों की सुरक्षा के साथ ही वर्मी कंपोस्ट बनाने तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में काम होने के कारण, गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

'गोधन न्याय योजना' भी गोधन सुरक्षा के लिये प्रभावी योजना है।

21 लोकपाल–छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लागू किया जायेगा और मुख्यमंत्री, मंत्री एवं सभी अधिकारियों को इसके अधीन लाया जायेगा।

प्रभावी लोकपाल बनाने के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

22 नक्सल समस्या–नक्सल समस्या के समाधान के लिये नीति तैयार की जायेगी और वार्ता शुरू करने के लिये गंभीरतापूर्वक प्रयास किये जायेंगे। प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास कार्यो के लिये एक करोड़ रू. दिये जायेंगे, जिससे कि विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

विश्वास विकास सुरक्षा के लक्ष्य को लेकर सरकार आगे बढ़ी है। राज्य में नक्सल गतिविधियों में 80 प्रतिशत की कमी आई। दुर्गम नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली की आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया है। बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में 28 सुरक्षा बलों के शिविर बनाए गए हैं।

नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षो से बंद सैकड़ों स्कूल फिर से शुरू किए गए है।

वनोपज की उचित मूल्य पर खरीदी से आदिवासियों की आर्थिक प्रगति हो रही है।

23 विशेष सुरक्षा कानून–राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिये विशेष कानून बनाये जायेंगे।

कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। देश के पहले पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक पारित है।

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार और महाधिवक्ता की 12 सदस्यीय समिति राज्य के पत्रकारों, पत्रकार संगठनों और आम नागरिकों की राय को शामिल कर कानून को अंतिम रूप देने में लगी है।

पत्रकार सम्मान निधी को 5000 से बढ़ाकर 10000 किया गया, पहले यह राशि 5 वर्ष के लिये दी जाती थी अब यह राशि आजीवन दी जा रही है।

पत्रकार कल्याण कोष के माध्यम से पत्रकारों या उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज के लिये पहले न्यूनतम 5000 से अधिकतम 50 हजार तक की सहायता राशि दी जाती थी, उसे बढ़ाकर न्यूनतम 10 हजार रू. और अधिकतम 2 लाख रू. किया गया है।

24 ग्राम सड़क योजना–ऐसे सभी गांवों और पारा, टोला जो किसी अन्य मौजूदा योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें इस योजना के माध्यम से जोड़ा जायेगा।

प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 4079 मार्ग चिन्हित किये गये है। जिसकी कुल लंबाई 689 कि.मी. और लागत राशि 486.69 करोड़ रूपये है। प्रदेश में इसके अंतर्गत 472 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं जबकि 1577 कार्य प्रगति पर है और 2030 कार्य निविदा स्तर पर है।

सड़क धरसा योजना प्रारंभ किया गया है।

25 गजराज योजना–छत्तीसगढ़ में लेमरू, कोरबा जैसे वन क्षेत्रों में हाथी और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किये जायेंगे और मानव, हाथी के संघर्षों के कम करने के लिये जंगलों को वाइल्डलाइफ कॉरिडोर से जोड़ा जायेगा।

हसदेव अरण्य क्षेत्र के लेमरू हाथी रिजर्व के 450 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र को बढ़ाकर 1950 वर्ग कि.मी. की अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अचानकमार से कान्हा नेशनल पार्क को जोड़ने तथा कान्हा नेशनल पार्क से ताड़ोबा तक वन्यजीव कॉरीडोर बनाने का प्रोजेक्ट तैयार है जिसकी स्वीकृति भी हो चुकी है।

लगभग 1995 वर्ग किलोमीटर में लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना की जा रही है, भविष्य में 2829 वर्ग कि.मी. के तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिये कार्ययोजना बनी है।

26 वनोपज की उचित मूल्य पर खरीदी–तेंदूपत्ता 4000 रू. प्रति मानक बोरे के दर खरीदी जायेगा। 70 में से 50 प्रमुख वनोपज उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले वर्ष में बढ़ाया जायेगा और वार्षिक समीक्षा की जायेगी।

तेंदूपत्ता की खरीदी वादे के अनुसार 2500 रू. से बढ़ाकर 4000 रू प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी किया जा रहा है। साथ ही 65 वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है।

(घोषणा पत्र में 50 वनोपजों के समर्थन मूल्य में खरीदी की बात कही गयी थी।)

लघु वनोपज संग्रहण के क्षेत्र में मॉडल स्टेट के रूप में उभरे छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ को 1173 करोड़ रूपए मूल्य की वनोपजों की खरीदी के लिये भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। देश में कुछ वनोपजों की खरीदी में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 85 प्रतिशत है। मिलेट मिशन शुरू किया गया है, सी–मार्ट बनाया गया है।

27 इंटरजेनरेशन इक्विटी–प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिये सुरक्षित करने हेतु इंटरजेनरेशन इक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर नीति बनाई जायेगी जिसके लिये वैज्ञानिक आयोग की स्थापना की जायेगी। जिसमें अर्थशास्त्री और समाजसेवी संगठन भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत आने वाली पीढ़ी के लिये प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण हेतु नालों को एक दूसरे से जोड़कर प्राकृतिक रूप से वाटर रिसोर्सिंग किया जा रहा है। आने वाले समय के पर्यावरण के संरक्षण के लिये वन विकास, वन रोपण करने से पिछले तीन सालों में राज्य के वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई।

28 पर्यटन को बढ़ावा–छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

भगवान राम वन गमन पथ कौशिल्या माता का भव्य मंदिर का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण पूर्ण राम वन गमन पर्यटन परिपथ में आने वाले 75 स्थलों का चयन किया गया है। 2260 किमी राम वन गमन पथ के लिये पहले चरण में 137 करोड़ के काम स्वीकृत। प्रथम चरण में 9 स्थानों–सीतामढ़ी हरचौका, रायगढ़, शिवरीनारायण, तुरतूरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर एवं रामाराम के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए काम शुरू हो चुका है।

वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म के रूप में भी पहचान दिलाने हसदेव बांगो डैम सतरेंगा का विकास कार्य पूर्ण हो गया है। वाटर टूरिज्म एवं एडवेंचर टूरिज्म की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए मुरूमसिल्ली एवं गंगरेल डैम धमतरी, हसदेव बांगों डैम कोरबा, संजय गांधी जलाशय

(खुटाघाट) रतनपुर, सरोधा डैम कबीरधाम, समोधा बैराज एवं कोडार डैम रायपुर, मलानिया जलाशय गौरेला और दुधावा जलाशय कांकेर का चयन किया गया है।

छत्तीसगढ़ में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये ट्राईबल टूरिज्म सर्किट के तहत जशपुर एवं कमलेश्वरपुर (मैनपाट) सरगुजा और कुरदर, सरोधादादर, कोण्डागांव, जशपुर एवं कुनकुरी के विभिन्न मोटल–रिसॉर्ट में से कुछ लोकार्पित हो चुके हैं और कुछ का शीघ्र ही लोकापर्ण किया जाना है।

29 दिव्यांगों को सम्मान–दिव्यांगो के जन–प्रतिनिधियों को बढ़ाने के लिये इस वर्ग से निर्वाचित न हो पाने पर एक महिला व एक पुरूष दिव्यांगों को पंचायतों व नगरीय निकायों में मनोनीत किया जायेगा।

दिव्यांगों को सम्मान व प्रतिनिधित्व देने हेतु राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में एल्डरमैन के लिए दिव्यांग कोटा बनाया है।

इसी कोटे से नगर पालिका चांपा, नगर पालिका सक्ती, नगर पंचायत बाराद्वार और नगर पंचायत सारागांव में दिव्यांगजनों को एल्डरमैन नियुक्त किया गया है।

30 आउटसोर्सिंग की समाप्ति–राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूर्णतः समाप्त कर दी जायेगी व सभी शासकीय विभागों के 1 लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग पूर्णरूप से समाप्त कर दी गयी है।

पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य, सहकारिता व अन्य शासकीय विभागों में हजारों की संख्या में भर्तियां निकाली गयी हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में कुल 1378 डॉक्टर थे जिसमें नई भर्ती के बाद अब 3358 डॉक्टर है। पहले मेडिकल स्टाफ की संख्या 18000 थी जिसमें नई भर्ती के बाद अब राज्य में 22000 मेडिकल स्टाफ है।

15000 शिक्षकों की भर्ती, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य में भर्तियां की गयी है। व्यापम, पीएससी से भर्ती शुरू। मेडिकल कॉलेज, दंत महाविद्यालय, पैरा मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया।

व्यापम एवं छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ किया गया।

कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं का समन्वय करते हुये छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत आने वाले 5 साल में 15 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य विभिन्न विभागों में 1 लाख भर्तियां पूर्णता की ओर है।

31 विद्यार्थियों को सुविधाएं–प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवमी कक्षा में जाने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं दोनों को मुफ्त साइकिल दी जायेगी। कॉलेज एवं स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दी जायेगी।

सरस्वती निःशुल्क सायकल वितरण योजना के माध्यम से स्कूली छात्राओं को निःशुल्क सायकल दिया जा रहा।

32 चिटफंड कंपनी–चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस होगा एवं चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

चिटफंड कंपनियों द्वारा गबन किये गये पैसों की वसूली कर निवेशकों को वापस दिलाने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़।

चिटफंड कंपनियों के डारेक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है। उनकी संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के पैसे लौटाये जा रहे है। 30 हजार 404 निवेशकों के 50 करोड़ 22 लाख से अधिक राशि वापस की जा चुकी है। 814 डायरेक्टर/पदाधिकारी गिरफ्तार।

33 संपत्तिकर में राहत–संपत्तिकर को शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कम किया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः समाप्त कर दिया जायेगा।

बीते तीन साल में शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के कर में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। कोरोना संकट के चलते कर पटाने में जनता को सुविधायें दी गई। पेनाल्टी में छूट दी गयी।

34 कचरा मुक्त शहर–शहरी क्षेत्रों में कचरे के निपटारे एवं रिसाइक्लिंग हेतु एसएलआरएम कार्यक्रम को मजबूत बनाया जायेगा।

कचरा मुक्त शहर, कचरा मुक्त गांव एवं कचरा का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करने के बेहतर प्रबंधन के चलते छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार देश में अव्वल राज्य बना, 67 निकायों को पुरूस्कृत किया गया।

नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना के अनुरूप 9000 स्वच्छता दीदीयां, घर–घर जाकर गीला एवं सूखा कचरा एकत्रित कर रही है।

35 घर पहुंच सरकारी सेवा–छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर तक पहुंचाकर दिया जायेगा।

परिवहन विभाग में तुंहर सरकार तुंहर द्वारा योजना के तहत चार लाख से अधिक वाहन के आरसी बुक एवं लायसेंस घर पहुंचाएं गए। मोर बिजली एप्प के माध्यम से बिल त्रुटि सुधार शिकायत का निराकरण किया जा रहा है। घर पहुंचा कर जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शुरू, शिशु के जन्म होते ही जन्मप्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एक साथ, लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत 126 नागरिक सुविधा चालू।

36 पुलिस कल्याण योजना–तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास एवं बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय–समय पर प्रदान कर सशक्त किया जायेगा।

पुलिस कल्याण एवं उनके समस्याओं के लिये उच्च स्तरीय कमेटी गठित, जो सरकार को रिपोर्ट करेगी।

पुलिस विभाग में सप्ताह में एक दिन अवकाश देने की घोषणा, 60 हजार पुलिस जवानों को रिस्पांस भत्ता एवं एनडीएफ के जवानों को जोखिम भत्ता दिया जा रहा है।

होमगार्ड के वेतन में 6000 रू. तक की वृद्धि की गयी।